UPST010055742026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी0 1885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1868 / 2026

प्रमोद कुमार उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र भागीरथी निषाद निवासी ग्राम बेथरा थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर .....प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–101 / 2026,
धारा–103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–अखण्डनगर, जनपद–सुलतानपुर

दिनांक 17.06.2026

प्रार्थी / अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से थाना अखण्डनगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–101 / 2026 अन्तर्गत धारा–103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में सहअभियुक्त प्रवीण कुमार निषाद का जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1472 / 2026 दि0 02.06.2026 को सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा सभाजीत द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 11.05.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी के पुत्र श्रवण को आज दि0 11.05.2026 को समय शाम 6:30 बजे के आस–पास प्रवीण कुमार पुत्र राम अनुज, संतोष पुत्र रमाशंकर व प्रमोद कुमार पुत्र भागीरथ बुलाकर ले गए तथा वादी के बेटे को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामवासियों द्वारा प्रवीण को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया तथा वादी के बेटे की हालत बहुत गम्भीर है, जिसको

अंबेडकरनगर लेकर आये थे, जहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण प्रवीन कुमार, संतोष व प्रमोद कुमार (प्रार्थी/अभियुक्त) के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, महज हैरान व परेशान किये जाने की गरज से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। मुकदमा उपरोक्त में षडयंत्र किये जाने का कोई अपराध नहीं बनता है। घटना का कोई प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र श्रवण कुमार को आग्नेयास्त्र से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे अगले दिन उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। सहअभियुक्त प्रवीण कुमार निषाद को मौके पर ही जनता के लोगों द्वारा पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया था, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त व एक अन्य सहअभियुक्त मौके से फरार हो गये थे। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

निम्नांकित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में सहअभियुक्तगण संतोष व प्रवीण कुमार निषाद के साथ नामित है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा सभाजीत निषाद ने यह उद्धृत किया है कि दि0 11.05.2026 को समय शाम 6:30 बजे के आस–पास प्रवीण कुमार, संतोष व प्रमोद कुमार बुलाकर ले गए तथा वादी के बेटे को गोली मार दी।

3. सहअभियुक्त प्रवीण कुमार निषाद, जो मौके पर जनता के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था, ने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया कि श्रवण कुमार निषाद हमारे रिश्तेदारी में आते हैं और श्रवण आये दिन मुझे जान से मारने की धमकी देता रहता था। मैंने इसके पहले भी श्रवण को समझाया था लेकिन वह मान नहीं रहा था। उसी कारण आज मैं तथा सन्तोष कुमार व प्रमोद कुमार (प्रार्थी/अभियुक्त) एक मोटर साइकिल से आये और पूर्व से हम लोगों की योजना श्रवण को गोली मार कर

हत्या व रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटाने की थी। श्रवण को घर से बुलवाया और ग्राम डोमापुर तिराहा मेन रोड पर वह अकेले आया। मैं तथा श्रवण आपस में बात कर रहे थे कि अचानक मैं गुस्से में बोला तो वह भी विरोध व धमकी दिया। तब मेरे साथियों ने कहा मार डालो साले को, तब मैं लोडेड पिस्टल से जान से मारने की नीयत से श्रवण कुमार पर फायर कर दिया, जो उसके पेट में जाकर लगी। गोली लगने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तब मैं दूसरा फायर किया जो उसके हाथ में लगी और उसके पकड़ने से मैं गिर गया तथा मोटर साइकिल चलाने वाले मेरे दोनो साथी सन्तोष कुमार व प्रमोद कुमार (प्रार्थी/अभियुक्त) मौके से जान बचाकर स्टार्ट बाइक से भाग गए। सन्तोष के पास भी एक असलहा था।

4. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बजरंगी, जिनका बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 केस डायरी के पर्चा नं0–8 में दर्ज है, ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घटना दि0 11.05.2026 को गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। साधना नाम की लड़की को लेकर दोनो में शत्रुता थी और प्रवीन कुमार निषाद अपने साथियों की मोटर साइकिल पर पीछे बैठा और जब श्रवण कुमार उसे देख लेने की बात करते हुए पास गया कि उसने अपने पैंट में छुपा रखे पिस्टल से श्रवण कुमार के सीने में गोली मार दी। गोली से घायल होने के बावजूद उसने पकड़ने का प्रयास किया तब तक मैं भी दौड़ा व सूर्य प्रकाश तथा दीपक अन्य पड़ोस के लोग मिलकर पकड़ लिये व मुल्जिम मोटर साइकिल से गिरा तथा बचने के लिए दूसरा फायर कर दिया। तब तक दोनो मोटर साइकिल वाले उसके साथी अपने को घिरते देख मौके से भाग गए थे। हम लोग अभियुक्त प्रवीण कुमार को पकड़ कर उसे मारने पीटने लगे थे कि क्यों गोली मारा। इसी प्रकार का बयान घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी सूर्य प्रकाश ने भी केस डायरी के पर्चा नं0–8 में दिया है।

5. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर पोस्टमॉर्टम के समय निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीं:–

1- STITCHED WOUND 02 CM X 0.5 CM LONG ALONG WITH 01 STITCHES PRESENT ON RIGHT SIDE OF CHEST, 09 CM LATERAL TO RIGHT NIPPLE.

2- FIRE ARM WOUND OF ENTRY 1.5 CM X 01 CM X ABDOMINAL CAVITY DEEP PRESENT ON RIGHT SIDE OF ABDOMEN, 11 CM BELOW THE RIGHT NIPPLE AND 14 CM FROM MIDLINE MARGINS REGULAR & CIRCULAR COLLAR OF ABRASION RING PRESENT AROUND THE WOUND, MARGINS ARE INVERTED AND ECCHYMOSIS SEEN ALONG THE TRACK.

3- SURGICAL DRAIN WOUND OF SIZE 01 CM X 01 CM X CAVITY DEEP PRESENT ON RIGHT LOWER ABDOMEN 15 CM BELOW THE INJURY NO 02.

4- SURGICAL DRAIN WOUND OF SIZE 01 CM X 01 CM PRESENT O5 CM ABOVE THE LEFT ASIS.

5- STITCHED COLOSTOMY WOUND 05 CM X 03 CM PRESENT ON LEFT SIDE OF ABDOMEN, 18 CM BELOW THE FROM THE LEFT NIPPLE.

6- CONTUSION REDDISH COLOUR OF SIZE O5 CM X 04 CM PRESENT ON ANTERIOR ASPECT OF LEFT FOREARM 01 CM ABOVE THE RIGHT WRIST JOINT.

7- FIRE ARM WOUND OF ENTRY SIZE OF 1.5 CM X 01 CM PRESENT ON DORSUM OF RIGHT FOREARM APPROX 01 CM ABOVE THE RIGHT WRIST JOINT. MARGINS INVERTED & CIRCULAR COLLAR OF ABRASION RING PRESENT AROUND THE WOUND. ECCHYMOSIS SEEN ALONG THE TRACK.

8- SCABBED ABRASION 16 CM X 07 CM PRESENT ON DORSAM OF RIGHT WRIST AND HAND.

9- FIRE ARM WOUND OF EXIT 01 CM X 1.5 CM PRESENT ULNAR ASPECT OF RIGHT FOREARM 14 CM ABOVE THE WRIST JOINT, MARGINS EVERTED & IRREGULLAR. ECCHYMOSIS SEEN ALONG THE TRACK.

10- SCABBED ABRASION 1.5 CM X 01 CM PRESENT OVER MEDIAL ASPECT OF RIGHT ELBOW JOINT.

11- SCABBED ABRASION 16 CM X 08 CM PRESENT ON LEFT SIDE BACK, JUST LATERAL TO LEFT SCAPULLA.

12- SURGICAL LAPROTOMY MIDLINE WOUND 28 CM LONG ALONG WITH 18 CM PRESENT ON FRONT OF ABDOMEN, 05 CM BELOW THE XIPHISTERNUM, COVERED WITH COLOSTOMY BAG. LOOPS OF BOWEL AND OMENTUM PROTRUDING FROM THE WOUND.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु, मृत्यु–पूर्व आयी आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव एवं सदमे के परिणामस्वरूप हुई है।

6. जिस मोटर साइकिल से अभियुक्तगण घटनास्थल पर पहुंचकर घटना कारित किये थे, उक्त मोटर साइकिल की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से हुई है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया

कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर मृतक को गोली मारे जाने का कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त व मृतक के मध्य कोई पूर्व रंजिश/शत्रुता इत्यादि भी नहीं थी, ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का पात्र है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि सहअभियुक्त प्रवीण कुमार निषाद, जिसे मौके से जनता के लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, ने पुलिस के समक्ष दिये अपने बयान में यह कथन किया है कि वह तथा अन्य दो सहअभियुक्तगण पूर्व से मृतक की हत्या की योजना बनाकर घटनास्थल पर एक ही मोटर साइकिल से पहुंचे थे तथा प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्त संतोष कुमार द्वारा मौके पर मृतक को जान से मार डालने के लिए ललकारा गया था। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल की बरामदगी भी प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से ही हुई है।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से थाना अखण्डनगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–101/2026 अन्तर्गत धारा–103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 17.06.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
JO Code UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.17 18:00:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court